

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 23.04.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी ।

### आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 247 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 04 अभियुक्त नाम पता – 1 – रामफेर पुत्र जवाहिर निवासी देवरी 2 – महन्थ निषाद पुत्र मुन्नर निषाद निवासी चपरापूर्वी 3 – बलीन्द्र पुत्र रामप्यारे निवासी सुरैना 4 – रामजीत पुत्र भीमल निवासी सुरैना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 30 – 30 – 80 – 80 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 187 / 19, 188 / 19, 189 / 19 व 190 / 19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



थाना महुली पुलिस द्वारा 25 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त नाम पता जनार्दन चौहान पुत्र जगदीश निवासी तरयापार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 143 / 19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

थाना महुली पुलिस द्वारा 10 शीशी (लैला) अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त नाम पता जवाहिर लाल पुत्र रामप्यारे निवासी वार्ड नं0 – 10 राजीव नगर हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 144 / 19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 1487 ने विवाद को कराया शान्त** – पीआरवी 1487 को थाना दुधारा क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 0592 से कालर ने दो पक्षों में विवाद एवं मारपीट होने के संबंध में सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 07 मिनट में मौके पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराया तथा प्रतिवादीगण को पकड़कर विधिक कार्यवाही हेतु थाना दुधारा को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

**पीआरवी स्टाफ-** मुख्य आरक्षी संतोष सिंह, हो0 चालक सुरजीत कुमार।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 02 वाहन सीज व 33 वाहनो से 6900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल**  
आज दिनांक 23-04-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 02 वाहन सीज व 33 वाहनो से 6900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

**शान्ति भंग में (151/107/116 सीआरपीसी) 13 अभियुक्त गिरफ्तार –**

- 1- धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
- 2- महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
- 3- मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

## एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 23-04-2019 को जनपदीय पुलिस व एन्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 16 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 59 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के 03 लड़कों से पूछताछ करने के पश्चात उनके परिजनों के संज्ञान मे लाते हुए माफीनामा प्रस्तुत करने के उपरान्त कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

